

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1देहरादून:दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

विषय:-चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय छमाही किश्त की देय धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय छमाही किश्त की देय धनराशि ₹426484000.00 (रुबयालीय करोड़ चौसठ लाख चौरासी हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

- (i) संक्रमित की जा रही धनराशि से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश में उल्लिखित संशोधित धनराशि के अनुसार व जारी होने के दिनांक से किया जा सकेगा।
- (ii) यह धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित अंश एवं सूत्र के अनुसार संक्रमित की जा रही है। धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-316/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) संक्रमित की जा रही धनराशि का विवरण क्षेत्र पंचायतवार व ग्राम पंचायतवार संलग्न है।
- (iv) ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा तथा ट्रेजरी चैक/क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग (1) जलापूर्ति, (2) सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, (3) सैप्टेज प्रबन्धन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता (4) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, (5) स्ट्रीट लाईट (6) आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्ष इत्यादि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि पर किया जायेगा।
- (vi) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करारकर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से, महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

- (vii) उपयोगिता—प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।
- (viii) ग्राम पंचायतों द्वारा जन्म तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु न्यूनतम ₹500/- व अधिकतम ₹1000/- प्रतिमाह संक्रमित की जा रही धनराशि से 5 प्रतिशत की सीमा में रहते हुए आकस्मिकता मद में व्यय करने की अनुमति होगी।
- (ix) कतिपय नगर पंचायत के विघटन के फलस्वरूप पुनः ग्राम पंचायतों का सृजन होने पर ऐसी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रफल/जनसंख्या आदि की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ताकि अगली किश्त पर उन्हें धनराशि संक्रमित की जा सके।
- (x) यदि किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा ग्राम पंचायतों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सम्मिलित कर लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत को अवमुक्त धनराशि का स्थानान्तरण शासन के पत्र सं०-822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा। जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-पंचायती राज संस्थाएँ-198-ग्राम पंचायतें-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या:- /03 (वि.आ.निदे.)XXVII(1)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त कुंमारु मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223, विश्वकर्मा, भवन देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, मा० मंत्री जी के अवलोनार्थ।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु देय द्वितीय किश्त की धनराशि का विकासखण्डवार विवरण।

(रुहजार में)

जनपद का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की देय द्वितीय किश्त की धनराशि का सक्रमण
1	2	3	4	5
1-अल्मोड़ा	1	94	स्याल्दे	3890
	2	89	ताकुला	3532
	3	110	धोलादेवी	4726
	4	53	भैसियाछाना	2137
	5	127	हवालबाग	5317
	6	103	लमगड़ा	4268
	7	122	द्वाराहाट	4992
	8	138	सल्ट	5249
	9	99	भिक्यासैण	3734
	10	130	ताड़ीखेत	5070
	11	101	चौखुटिया	4028
		1166	योग	46943
2-बागेश्वर	1	118	कपकोट	6448
	2	106	गरुड	5072
	3	192	बागेश्वर	8867
		416	योग	20387
3-चमोली	1	96	कर्णप्रयाग	4262
	2	58	जोशीमठ	3339
	3	68	दशोली	3251
	4	54	घाट	2844
	5	72	पोखरी	3178
	6	93	गैरसैण	4472
	7	42	थराली	2029
	8	45	देवाल	2149
	9	85	नारायणबगड	3805
		613	योग	29329
4-चम्पावत	1	67	लोहाघाट	2978
	2	48	बाराकोट	2048
	3	85	पाटी	3780
	4	113	चम्पावत	5746
		313	योग	14552
5-देहरादून	1	54	डोईवाला	8600
	2	64	रायपुर	6432

जनपद का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की देय द्वितीय किश्त की धनराशि का सक्रमण
1	2	3	4	5
	3	60	सहसपुर	7098
	4	55	विकासनगर	6420
	5	116	चकराता	4659
	6	111	कालसी	4162
		460	योग	37371
6-हरिद्वार	1	53	भगवानपुर	7695
	2	23	खानपुर	2228
	3	49	रुड़की	7263
	4	61	नारसन	9107
	5	50	लक्सर	6531
	6	72	बहादुराबाद	12296
		308	योग	45120
7-नैनीताल	1	79	ओखलकाण्डा	3243
	2	65	भीमताल	2850
	3	77	बेतालघाट	2979
	4	84	हल्द्वानी	7995
	5	53	रामनगर	3488
	6	60	रामगढ	2445
	7	56	कोटाबाग	3185
	8	37	धारी	1693
		511	योग	27878
8-पौड़ी	1	102	बीरोंखाल	3955
	2	97	द्वारीखाल	3820
	3	102	दुगडडा	6127
	4	82	एकेश्वर	3065
	5	73	जयहरीखाल	2784
	6	87	कल्जीखाल	3385
	7	43	खिसू	1955
	8	69	कोट	2763
	9	88	नैनीडाडा	3375
	10	81	रिखणीखाल	3188
	11	107	थलीसैण	4316
	12	86	यमकेश्वर	3578
	13	63	पौड़ी	2519
	14	74	पावौ	2905
	15	58	पोखड़ा	2286
		1212	योग	50021
9-पिथौरागढ़	1	117	गंगोलीहाट	5634
	2	76	मूनाकोट	3961

जनपद का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की देय द्वितीय किश्त की धनराशि का संक्रमण
1	2	3	4	5
	3	92	कनालीछीना	4404
	4	62	धारचूला	3933
	5	91	पिथौरागढ	4177
	6	71	डीडीहाट	3429
	7	97	मुनस्यारी	5066
	8	84	बेरीनाग	3905
		690	योग	34509
10-रूद्रप्रयाग	1	159	अगस्त्यमुनि	7643
	2	108	जखोली	5224
	3	70	ऊखीमठ	3439
		337	योग	16306
11-टिहरी	1	117	नरेन्द्रनगर	4352
	2	84	कीर्तिनगर	3406
	3	104	चम्बा	3901
	4	116	देवप्रयाग	4303
	5	186	भिलंगना	7466
	6	93	थौलधार	3588
	7	146	जौनपुर	5446
	8	98	प्रतापनगर	4061
	9	92	जाखणीधार	3733
		1036	योग	40256
12-ऊधमसिंह नगर	1	66	खटीमा	7696
	2	74	सितारगंज	7363
	3	54	रूद्रपुर	6424
	4	50	गदरपुर	5261
	5	57	बाजपुर	5528
	6	39	काशीपुर	4983
	7	51	जसपुर	4847
		391	योग	42102
13-उत्तरकाशी	1	83	भटवाडी	4249
	2	99	डुण्डा	4151
	3	81	चिन्यालीसौड़	3243
	4	126	नौगांव	5110
	5	43	पुरोला	1800
	6	68	मोरी	3157
		500	योग	21710
	95	7953	कुल योग :-	426484

(बयालीस करोड़ चौसठ लाख चौरासी हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।


बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

अनुदान संख्या 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
 02 - पंचायती राज संस्थायें
 198 - ग्राम पंचायतें
 03 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन
 00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	NonPlan Voted		Name of local bodies
					Previous Allotment	Current Allotment	
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1710070210	06-OCT-2017	37516000	37371000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1710070212	06-OCT-2017	28023000	27878000	
3	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1710070206	06-OCT-2017	46804000	46943000	
4	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1710070214	06-OCT-2017	34494000	34509000	
5	4000-Chamoli (Gopewar)	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1710070208	06-OCT-2017	29469000	29329000	
6	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1710070218	06-OCT-2017	21573000	21710000	
7	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1710070213	06-OCT-2017	49664000	50021000	
8	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1710070216	06-OCT-2017	39938000	40256000	
9	6500-Hardwar	4183-District Magistrate (For Grants)Hardwar	H1710070211	06-OCT-2017	45359000	45120000	
10	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1710070217	06-OCT-2017	42328000	42102000	
11	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1710070209	06-OCT-2017	14531000	14552000	
12	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1710070207	06-OCT-2017	20403000	20387000	
13	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1710070215	06-OCT-2017	16382000	16306000	
Total :					426484000	426484000	


 [Signature]
 [Stamp]
 [Date]